

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना  
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

phone no.: 0141-2740252

No: F.1(240)RGHS/C/2022-23/Loose/ 3708

Date: 06.12.2022

निर्देश

विषय :- आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय के पूर्व निर्देश 3552, दिनांक 28.11.2022 के क्रम में।

इस कार्यालय से जारी निर्देश दिनांक 28.11.2022 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन जारी किया जाता है। संदर्भित निर्देश में समस्त IM, IV, SC, ID for pain को non-payable होने के निर्देश प्रदान किये गये थे। लाभार्थियों को आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों में आंशिक छूट प्रदान की जाती है। फार्मा स्टोर अब लाभार्थियों को आरजीएचएस में पारिभाषित वैध चिकित्सक द्वारा परामर्श दिये जाने पर निम्न दवाईयां दे सकेंगे :-

1. Inj diclofenac
2. Inj dicyclomine
3. Inj pcm
4. Inj tramadol
5. Inj piroxicam
6. Inj dortavarine
7. Inj mefenic acid
8. Inj. gentanycin
9. Inj. cefotaxime
10. Inj. ceftraxones
11. Inj. Amikaein
12. Inj. Lincomycin
13. Inj. Tranexamic acid

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई भी फॉर्मा स्टोर Nutrition Supplements लाभार्थियों को आरजीएचएस के अन्तर्गत उपलब्ध करवाता है तो इसके लिए आरजीएचएस द्वारा कोई भुगतान देय नहीं होगा, जैसे:-

1. Tab. Renolog Ds
2. Tab Ketoneph
3. Tab. Alfalog
4. Tab. Remostril
5. Tab. Septasteril
6. Tab. Evstril
7. Tab. Aplazar
8. Tab. Ketoalfa
9. Tab. Ketostril
10. Tab. Nehpqlog

शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

No: F.1(240)RGHS/C/2022-23/Loose/ 3709

(शिप्रा विक्रम)  
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

Date: 06.12.2022

प्रतिलिपि समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(शिप्रा विक्रम)  
परियोजना निदेशक, आरजीएचएस